


राजस्थान सरकार  
निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18(17)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2013 / 4343-447 दिनांक : 12/08/2013

—: परिपत्र :-


विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 9142-9257 दिनांक 28.06.2013 के माध्यम से एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अन्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृति के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे। उक्त आदेशों की निरन्तरता में निर्देश दिये जाते हैं कि जिस ग्रामसभा में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन करवाया जाना है, उस ग्रामसभा की बैठक में सम्बन्धित पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्यों को भी आवश्यक रूप से आमंत्रित किया जावे।

यदि आमंत्रित करने के उपरान्त भी सम्बन्धित जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य ग्रामसभा में उपस्थित नहीं होते हैं तो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं वार्षिक कार्य योजना अनुमोदन में उनकी सहभागिता मानी जायेगी, जिसका रिकार्ड रखा जावे।

  
निदेशक

क्रमांक : एफ.18(17)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2013 / 4343-447 दिनांक : 12/08/2013  
प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए. एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
5. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर (समस्त जिले)
6. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी/प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त जिले)
9. उपनिदेशक (समस्त), निदेशालय, जयपुर।
10. परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद (समस्त जिले) को भेजकर लेख है कि आपके अधीन समस्त पी.आई.ए. को इस परिपत्र की छाया प्रति उपलब्ध करवाकर निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु पाबन्द करावे।
11. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।

  
अतिरिक्त निदेशक  
(आई.डब्ल्यू.एम.पी.)